

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 22 अप्रैल, 2020

विषय- श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या-09/2020/446/36-3-2020-30(सा0)/2020, दिनांक 20 मार्च, 2020 के प्राविधानों का अनुपालन कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-09/2020/446/36-3-2020-30(सा0)/2020, दिनांक 20 मार्च, 2020 की छायाप्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निजी चिकित्सालयों में उक्त अधिसूचना के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।


भवदीया,

  
( वी0 हेकाली झिमोमी )  
सचिव

संख्या-920 (1)/पाँच-5-2020, तददिनांक:

प्रतिलिपि अवस्थापना एवं औद्योगिक विभाग, आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-113/आईआईडीसी/2020, दिनांक 18.04.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

  
( प्राणेश चन्द्र शुक्ल )  
उप सचिव।

920/पॉच-5-2020

कार्यालय: अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,

उत्तर प्रदेश शासन

208, द्वितीय तल, लोक भवन,

दूरभाष सं०: 0522-2289002, 2226842

email- iidcup.84@gmail.com

3546 (G) / पी०एस०एम०एच० / 2020

पत्रांक: 113 / आई.आई.डी.सी. / 2020

दिनांक: 18 अप्रैल, 2020

प्रमुख सचिव,

चिकित्सा शिक्षा / चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ✓

उ०प्र० शासन

श्रम अनुभाग-3 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या- 09/2020/446/36-03-2020-30(सा०)/2020 दिनांक 20 मार्च, 2020 की प्रति संलग्न की जा रही है, जिसके माध्यम से यह निर्देश दिये गये हैं कि समस्त दुकानों, वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बंद है, के कर्मचारियों/कर्मकारों को अस्थायी बंदी की अवधि में उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जाएगा। उक्त अधिसूचना में यह भी निर्देश जारी किये गये हैं कि कोविड-19 से ग्रस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित है तथा पृथक्करण में रखे गए हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश भी प्रदान किया जाएगा।

(अमित मोहन प्रसाद)

प्रमुख सचिव

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उत्तर प्रदेश शासन

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि कृपया समस्त निजी अस्पतालों/निजी

3217/smk/20 करने हेतु अवगत कराने का कष्ट करें।

VS(SR)

858/VS/SK/2020

DS(P)/50-5

19/4/20

(वी० हेकाली डिमोमी)

सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

उ०प्र० शासन

18.04.2020

( आलोक टंडन )

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त  
उ०प्र० शासन।

20.04.2020  
( शत्रुञ्जय कुमार सिंह )

विशेष सचिव  
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं  
परिवार कल्याण विभाग  
उ० प्र० शासन

21.4.20

उत्तर प्रदेश शासन

श्रम अनुभाग-3

संख्या- 09 /2020/ 446 /36-03-2020- 30(सा०)/2020

लखनऊ : दिनांक : 20 मार्च, 2020

### अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य, कोविड-19 रोग के फैलाव से संकटग्रस्त है, जो कि खतरनाक महामारी है और सम्प्रति प्रवृत्त विधि के सामान्य उपबन्ध इस प्रयोजन हेतु अपर्याप्त हैं;

अतएव अब महामारी अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1897) की धारा 2 के अधीन दी गयी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित विनियमावली विहित करती हैं : -

- 1- कोविड-19 से ग्रसित कर्मचारियों/कर्मकारों, जो कोविड-19 से संदिग्ध रूप से प्रभावित हों और पृथक्करण में रखे गये हों, को उनके नियोजकों द्वारा 28 दिन का भुगतान युक्त अवकाश प्रदान किया जायेगा। ऐसा अवकाश केवल तभी अनुमन्य होगा जब ऐसे कर्मकार या कर्मचारी स्वस्थ होने के पश्चात् अपने नियोजक या प्राधिकृत व्यक्ति को चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदान/प्रस्तुत करेंगे।
- 2- ऐसी दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जो राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों से अस्थायी रूप से बन्द हैं, के कर्मचारियों/कर्मकारों को ऐसी अस्थायी बन्दी अवधि के लिये उनके नियोजकों द्वारा मजदूरी सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा।
- 3- ऐसी समस्त दुकानों/वाणिज्यिक अधिष्ठानों/कारखानों, जहाँ दस या उससे अधिक कर्मकार नियोजित/योजित हों, को उक्त अधिष्ठानों के सूचना पट्ट और मुख्य द्वार पर, को कोविड-19 की रोकथाम के लिये केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा विहित सुरक्षा उपायों को प्रदर्शित करना होगा।
4. यह आदेश इस अधिसूचना को जारी किये जाने के तत्काल पश्चात् प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

( सुरेश चन्द्रा )  
प्रमुख सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या:- 09 / 2020 / 446 (1) / 36-03-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अंग्रजी प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 20 मार्च, 2020 की असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट-4(खण्ड ख) में प्रकाशित कर अधिसूचना की 150 मुद्रित प्रतियाँ श्रम अनुभाग-3 बापू भवन उ०प्र० सचिवालय लखनऊ एवं 150 प्रतियाँ श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर पेटी संख्या-220 को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 2- प्रमुख सचिव मा० मुख्यमंत्री जी उ०प्र० शासन।
- 3- मुख्य सचिव उ०प्र० शासन।
- 4- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 5- समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)
- 6- समस्त जिलाधिकारी उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)
- 7- श्रम आयुक्त उ०प्र० कानपुर।
- 8- निदेशक कारखाना उ०प्र० कानपुर।
- 9- निजी सचिव, मा० मंत्री श्रम एवं सेवामांजन विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- सचिव, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड गोमती नगर लखनऊ।
- 11- समस्त अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त उ०प्र०। (द्वारा श्रमायुक्त उ०प्र०)
- 12- समस्त उप/सहायक निदेशक कारखाना उ०प्र०। (द्वारा निदेशक कारखाना उ०प्र०)
- 13- उद्योग बंधु 12- सी माल एवेन्यू लखनऊ।

आज्ञा से,

( अजीज अहमद )  
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**UTTAR PRADESH SHASAN  
SHRAM ANUBHAG-3**

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 09 /2020/446/xxxvi-03-2020-30(sa)/2020 Dated 20 March, 2020

**NOTIFICATION**

No.09 /2020/446 /xxxvi- 03-2020-30(sa)/2020

Lucknow, Dated 20 March, 2020

WHEREAS the State Government is satisfied that the state is threatened with an outbreak of Covid-19 disease which is dangerous epidemic disease and the ordinary provisions of law for the time being in force are insufficient for the purpose,

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers given under section-2 of the Epidemic Disease Act-1897 (Act no.3 of 1897) the Governor is pleased to prescribe the following regulations-

- 1- The employees/workmen affected by Covid-19 or who are suspected to be affected by Covid-19 and kept in isolation will be provided paid leave of 28 days by their employers. Such leave shall be permissible only when such workman or employees provide/submit a medical certificate in this regard to their employer or authorised person at the time of joining duties after fitness.
- 2- Employee/Workmen of the shops/commercial establishment/factories which closed temporarily by the orders of the State Government or District Magistrate shall be provided holiday with wages by their employer for the period of such temporary closure.
- 3- All shop/Commercial establishment/factories where ten or more workmen are employed shall display on notice board and main gate of the establishment safety measures prescribed by the Central Government or the State Government for prevention of Covid- 19.
- 4- This order shall come into force immediately after issuance of this notification.

**By Order,**

**( Suresh Chandra )  
Principal Secretary**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।